SPAR

शिक्षा

का अधिकार कानून 2009

edukans

DEVELOPMENT FOCUS

A Glimpse of Jharkhand

Description	2011	2001
Population	32,9,66,238	26,9,45,829
Male	16,931,688	13,885,037
Female	16,0,34,550	13,0,60,792
Population Growth	22.34%	23.19%
Sex Ratio	947	941
Percantage of total Population	2.72%	2.62%
Area Sq. km	79,714	79,714
Density Sq. km	414	338
Literacy %	67.63 %	53.56 %
Male Literacy	78.45 %	63.83 %
Female Literacy	56.21 %	38.87 %
Total Literate	18,7,53,660	11,7,77,201
Male Literate	11,16,8,649	7,646,857
Female Literate	7,585,011	4,130,344

शिक्षा

का अधिकार कानून 2009

SPAR

edukans

DEVELOPMENT FOCUS

सम्पादक दल
बिनोद कुमार होरो
कविता श्रीवास्तव
समीर कुमार सुन्डी

परियोजना कार्यालय
सोसाईटी फॉर पार्टीसिपेटरी एक्शन एण्ड रिफलेक्शन
श्री माँ अपार्टमेंट
पी. एन. बोस कम्पाउण्ड
राँची -834001
दूरभाष संख्या - 0651-2532346,2532064
ई-मेल : sparranchi2010@gmail.com

कार्यालय
49/53 प्रिंस गुलाम मोहम्मद शाह रोड,
कोलकाता-700003
दूरभाष संख्या -033-24734339, 24732980
फैक्स : (91)33-24932984
ई-मेल : sparhocl@giascl01.vsnl.net.in
Visit :- www.sparindia.org

प्रथम संस्करण - सितम्बर 2011

मुद्रित प्रतियाँ - 5000

मुद्रक : आई.डी. पब्लिशिंग, राँची- 834001 (झारखंड)
फोन : 0651-2544420/9431182812
e-mail : idpublishing2008.gmail.com

प्रस्तावना

बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके अधिकारों को सशक्त करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जिससे कि वे राष्ट्र के लिए एक उपयोगी एवं जिम्मेदार नागरिक बन सके। "शिक्षा का अधिकार" वास्तव में एक क्रांति के समकक्ष है। इसके अंतर्गत हमारे देश के प्रत्येक 6-14 उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

"स्पार" विगत 20 वर्षो से झारखण्ड, उड़िसा एवं पश्चिम बंगाल में शिक्षा सहित अनेक मुद्वों पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा झारखण्ड राज्य में "शिक्षा से परिवर्तन" परियोजना के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशाओं का संचार किया जा रहा है। यह छोटी पुस्तिका इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं,सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं उन लोगों को समर्पित है जो बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।

हम आभार व्यक्त करते हैं EDUKANS Foundation बैंगलोर एवं नीदरलैंड का Development Focus जिनके सहयोग से इस पुस्तिका का प्रकाशन संभव हो सका है। हम उन सभी साथियों का धन्यवाद करते है, जिन्होंने इस पुस्तिका को तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

इस पुस्तिका को और भी बेहतर बनाने के लिए आप सबों के विचार एवं सुझावों का स्वागत है।

धन्यवाद ।

रविन्द्रनाथ मिड डे
निदेशक, ''स्पार''

नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा पाना सभी का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के बिना विकास की बातें निराधार प्रतीत होती है। खासकर बच्चों की शिक्षा पर बहुत सारे प्रयास किये जा चुके हैं लेकिन इन प्रयासों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमजोरियाँ उभर कर सामने आईं। अन्य मामलों की तरह शिक्षा में भी भेदभाव के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। शिक्षा मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ के मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करता है अत: इसे अनिवार्य बनाना अपरिहार्य हो गया। इसलिए भारत में भी शिक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता मे रखा गया है।

शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता विगत कई दशकों से महसूस की जा रही थी। इस लक्ष्य को पाने के क्रम में तत्कालीन भारत सरकार ने इसे अनिवार्य जान कर 86वें संविधान संशोधन में इसे कानूनी रूप प्रदान कर बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बना दिया। इस अधिनियम को संविधान के अंतर्गत खण्ड (3) में स्थान दिया गया। मूलत: बच्चों के नि:शुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन से 27 अगस्त 2009 को इसपर सहमति प्रदान की गई और अंतत: 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी हो गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय एवं 38 खण्ड हैं।

झारखंड में नि :शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। नियमावली, झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 कही जाएगी। इसका विस्तार पूरे झारखण्ड में होगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया

1) निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय : 6 - 14 वर्ष के सभी बच्चों को, बिना शुल्क लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए नामांकन की व्यवस्था करना है। 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे जिनका किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ है या दाखिला हुआ है पर प्रारंभिक स्कूल पूरा नहीं कर पाये हैं तो वैसे बच्चे को उनकी उम्र के मुताबिक उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को वो स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में तबादला लेने का अधिकार है। अगर किसी बच्चे को अन्य स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत होती है तो जिस स्कूल में बच्चे का पिछला या आखिरी दाखिला हुआ है वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा ट्रांसफर प्रमाण पत्र पाना उस बच्चे का अधिकार है। ऐसा नहीं होने पर उस प्रधानाचार्य पर अनुशासनात्मक कारवाई की जा सकती है।

बच्चों को उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराना है, जो शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकताओं का अर्थ है, स्कूल की व्यवस्था करना, सुरक्षा हेतु चारदिवारी का निर्माण कराना, कक्षाओं को मौसम के अनुकूल बनाना, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण कराना, पेयजल की व्यव्स्था करना, शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदान की व्यवस्था करना, मानसिक विकास हेतु पुस्तकालयों तथा विभिन्न विषयों के पुस्तकों की व्यवस्था करना, पोषण हेतु माध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, शुद्ध तरीके से भोजन बनाने के लिए किचन शेड का निर्माण कराना, आग से सुरक्षा के उपाय करना आदि सम्मिलित हैं। इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार की अपनी-अपनी जिम्मेवारी होगी।

इन कार्यो के बेहतर संचालन के लिए कई प्रकार के समिति का गठन किया जाना निश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति,अभिभावक एवं शिक्षक समिति , एक जन प्रतिनिधि एवं बाल संसद के एक-एक सदस्य आदि को रखा गया है। जो विद्यालय के समुचित कार्यो में भागीदार होंगे अर्थात विद्यालय की सारी कार्यकलाप की देखरेख एवं लेखा-जोखा रखेंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति

- इसका गठन अधिनियम पारित होने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसका कार्यकाल 3 वर्षो का होगा। तीन वर्षो के बाद पुनः इसका गठन होगा।
- समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी, जिसमें 75: अर्थात 12 सदस्य संबंधित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के अभिभावक होंगे, इन सदस्यों में 50:

महिलाएँ होंगी। समिति के 25: या चार सदस्य निम्नवत होंगे -प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, विद्यालय का एक निर्वाचित शिक्षक, एक छात्र प्रतिनिधि, एक जन प्रतिनिधि (वार्ड, पार्षद, सरपंच आदि में से)।

- विद्यालय, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- विद्यालय प्रबंधन समिति में से माता-पिता या अभिभावक इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
- प्रत्येक महीने इसकी बैठक होना निश्चित किया गया है तथा बैठक की पंजी आम लोगों के लिए अवलोकन हेतु रखा जाएगा। पंजी का संधारण समिति के सदस्य संयोजन द्वारा किया जाएगा।
- समिति, बाल अधिकारों से संबंधित बातें एवं केन्द्र, राज्य, स्थानीय उत्तरदायित्वों को सरल बनाने में आसपास के गाँवों में प्रसारित करेगी। साथ ही शिक्षकों पर गैरशैक्षाणिक कार्यो का अतिरिक्त भार न डाला जाए इसके लिए आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करेगी।
- निशक्तताग्रस्त बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन कराना एवं शिक्षा हेतु सुविधाओं का अनुश्रवण करने तथा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने हेतु कार्यो को सुनिश्चित करना।
- समिति, विद्यालय की प्राप्तियों एवं व्यय दोनों का लेखा रखेगा।
- समिति द्वारा माध्याह्न भोजन से संबंधित योजनाओं का अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन कराना।
- किसी प्रकार के धन की प्राप्ति एवं खर्च के लिए बैंक में खाता खुलवाना तथा इसका वार्षिक अंकेक्षण कराना।
- विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के लेखा का संचालन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकलाप

- स्कूल के संचालन का अनुश्रवण।
- स्कूल के विकास की योजना बनाना एवं इसकी अनुशंसा करना (वार्षिक योजना बनाना)।
- विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना।
- सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान का अनुश्रवण करना।
- पोषक क्षेत्र के सभी नामांकन उपस्थित एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का अनुश्रवण करना।

विद्यालय विकास योजना तैयार करना : विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम तीन महीने पहले एक विद्यालय विकास से संबंधित योजना तैयार करेगी। यह योजना त्रिवर्षीय होगी जसमें कई योजनाओं का समागम होगा । जैसे –

क) प्रत्येक साल कक्षा के अनुसार नामांकन का आकलन किया जाएगा।

ख) कक्षा 1 से कक्षा 5 और 6 से 8 अलग-अलग विषयों के लिए अध्यापकों की आवश्यकताओं का विवरण देना।

ग) आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकताओं का विवरण देना।

घ) विद्यालयों के उतरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य आवश्यकताओं का विवरण देना।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

- विद्यालय प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। यह विशेष प्रशिक्षण तीन माह के न्यूनतम अवधि के लिए होगी परन्तु आवश्यकतानुसार इसे दो वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण की व्यवस्था सुरक्षित कक्षा अथवा आवासीय कक्षाओं में किया जाना चाहिए।

केन्द्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदयित्व

क्षेत्र एवं सीमाएँ

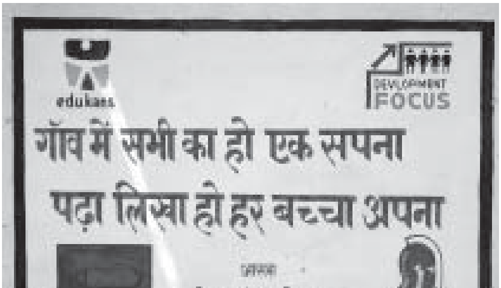

- उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकारी को अपने क्षेत्र और पड़ोस की सीमा के भीतर जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल की अवधि के भीतर स्कूल स्थापित करना होगा।
- जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के हैं उनके लिए पैदल 1 किलोमीटर की परीधि में स्कूल की व्यवस्था करना।
- कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पैदल 2 किलोमीटर की परीधि में स्कूल की व्यवस्था करना।

- किसी विशेष रूकावट जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, भारी निर्माण (सड़क, इमारत, फैक्टरी आदि का निर्माण) का कार्य चलना आदि कारणों से स्कूल की सीमा में बदलाव किया जा सकता है।
- 1 से 5 कक्षा वाले विद्यालय में 6 से 8 वर्ग तथा 1 से 7 वर्ग वाले विद्यालय में 8 वर्ग तक कक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार एक से अधिक स्कूल की स्थापना की जा सकती है

जिम्मेवारियाँ एवं उत्तरदायित्व

- 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना साथ ही साथ नि:शक्तताग्रस्त बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित सहायक सामग्री प्रदान करना।
- आस -पास के क्षेत्रों में विद्यालय की आवश्यकता का आकलन कर योजना का निर्माण एवं निर्धारण करना नि:शक्तताग्रस्त अलाभ समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों की पहचान प्रत्येक वर्ष करना।
- राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग, धर्म या अन्य कारणों से किसी भी प्रकार विभेद नहीं किया जाएगा।
- राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह तय करेंगे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा किसी भी सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों से बाधित न हो।

केन्द्र सरकार का मुख्य दायित्व

- केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी।
- शैक्षणिक प्रधिकारी के सहयोग से राष्ट्रीय पाठयचर्चा की रूपरेखा विकसित करेगी।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों को विकसित करेगी और प्रभावी बनायेगी।
- राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों के अभिलेखों का विवरण रखना

- स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रों के सभी बच्चों का घर-घर सर्वेक्षण कर 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विवरण तैयार करेंगे तथा वार्षिक रूप से इसका अद्यतन करेंगे।

- सभी बच्चे का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- पारदर्शिता लाने के लिए सभी अभिलेखों को सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा।
- अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होना आवश्यक है :-
  क) बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तिथि, जन्म का स्थान।
  ख) बच्चे के माता-पिता / अभिभावक का विवरण।
  ग) आंगनबाड़ी केन्द्र का अभिलेख (जहाँ बच्चा 6 वर्ष तक रहा है।)।
  घ) प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे का नामांकन किया गया / किया जाना है।
  ड़) यदि बच्चे ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया है, तो उसके कारण का उल्लेख करना।

विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व :

- नि:शक्तताग्रस्त आलाभ समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों के बीच काई भेदभाव नहीं करना, साथ ही साथ उनकी शिक्षा भी सामान्य बच्चों की तरह हो ऐसा प्रयास करना, उन्हें भी अन्य बच्चों के साथ आवश्यकतानुसार एक कक्षा में रखना।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- स्कूल अपने यहाँ दाखिला लिये हुये बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी।
- गैर सहायता प्राप्त एवं विशेष कोटि के विद्यालय वर्ग में नामांकित होने वाले बच्चों में से एक चौथाई बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना।
- नामांकन हेतु अभिभावक से विद्यालय दानस्वरूप कोई भी राशि प्राप्त नहीं करेगा।
- कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे के दाखिला लेते समय कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा न ही बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को चयन प्रक्रिया हेतु बाध्य करेगा।
- अगर कोई स्कूल या व्यक्ति कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसे कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना जुर्माना भरना होगा।

- नामांकन हेतु निबंधन प्रमाण पत्र एवं स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं।
- बच्चे के प्रति जाति, धर्म, लिंग, या व्यवसाय के आधार पर विद्यालय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।
- विद्यालय बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड और न ही मानसिक दण्ड देगा।
- नामांकन के लिए बच्चे या माता –पिता या अभिभावक की जाँच परीक्षा नहीं ली जाएगी।
- दाखिला प्राप्त किसी बच्चे को किसी कक्षा में फेल /रोका नहीं जाएगा या स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा।

आयु संबंधी दस्तावेज का विवरण

जहाँ निबंधन की सुविधा नहीं है वहाँ निम्नलिखित कागजातों को आयु संबंधी दस्तावेज माना जाएगा–

क) आंगनबाड़ी केन्द्र का अभिलेख।
ख) माता –पिता / अभिभावक के द्वारा आयु का मौखिक प्रमाण।
ग) अस्पताल/सहायक नर्स /दाई के पंजी का अभिलेख।

विद्यालय में प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि :

- प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छः माह होगी।
- विस्तारित अवधि के बाद नामंकित बच्चे को प्रधानाध्यापक द्वारा विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने का अधिकार होगा।
- स्थानान्तरित होकर आये बच्चे का नामांकन भी विद्यालय में किया जाना आवश्यक है तथा इसे विस्तारित अवधि के बाद का नामांकन नहीं समझा जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसके साथ किसी कक्षा में उसे नहीं रोका जाएगा। इसका उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना देने पर नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबद्ध व्यक्ति दण्ड के पात्र होंगे।

विद्यालय को मान्यता

- राज्य सरकार या सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन स्थापित विद्यालय को मान्यता प्राप्त होगी।

- वैसे विद्यालय जो निजी या सामूहिक आर्थिक लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- स्कूल का ढाँचा, संविधान के आदर्शो के अनुरूप होना चाहिए।
- वैसे विद्यालय जिसमें विद्यालय भवन या इससे संबंधित आधारभूत संरचनाएँ, जो केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
- वैसे विद्यालय जो किसी भी अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

बाल अधिकारों का संरक्षण

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करेगी।
- इस आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो उच्च शैक्षणिक योग्यता रखता हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या बाल आधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, इसके अंतर्गत दो सदस्यों में से एक महिला होगी।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक चाइल्ड हेल्प लाइन की स्थापना कर बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी बातों का पारदर्शिता के साथ निराकरण करेगा।
- जिला न्यायाधीकरण का गठन कर नियम उल्लंघन से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति एवं स्थानीय प्रधिकार, विद्यालय एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा के अधिकार के संरक्षण हेतु विद्यालय को अनुकूल नियम निर्देशित करेगी।
- विद्यालय में असुविधा या सुविधा से वंचित, संबद्ध व्यक्ति स्थानीय प्राधिकार को आवेदन देकर तथा वस्तुस्थिति की जाँच कर जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराएगा।
- सरकार द्वारा प्रदान की गई नि:शुल्क पाठय पुस्तक,लेखन सामग्री ,पोशाक आदि उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंध समिति को दी जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कारवाई नहीं हो पाने पर इसकी शिकायत स्थानीय प्रधिकार से की जा सकती है।

- भेदभाव से संबंधित मामलों मे विद्यालय प्रबंधन समिति से शिकायत की जा सकती है। निपटारा नहीं हो पाने की स्थिति में प्रथम अपील स्थानीय प्रधिकार एवं द्वितीय अपील अपर जिला न्यायाधीकरण के समक्ष दायर कर सकते हैं।
- शिक्षकों द्वारा टयूशन, कोचिंग कार्य किये जाने पर स्थानीय प्रधिकार के पास अपील दायर कर सकते हैं निपटारा नहीं हो पाने की स्थिति में जिला न्यायाधीकरण के पास अपील दायर कर सकते हैं।
- विद्यालय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति से शिकायत की जा सकती है कारवाई नहीं हो पाने पर इसकी शिकायत स्थानीय प्रधिकार से की जा सकती है।

अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त : (कुछ प्रमुख बिंदू)

- अध्यापक प्रत्येक बच्चे के बारे में व्यापक जानकारी अभिलेख में लिपिबद्ध करेंगे।
- प्रधानाध्यापक, प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने पर एक माह के अन्दर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
- अध्यापक संबद्ध प्रशिक्षणों में भाग लेंगे।
- केन्द्र सरकार के प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता, सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में होगा।
- सरकारी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकार से सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- गैरसरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हों तो विद्यालय प्रबंधन अधिनियम लागू होने के पाँच वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्धारित कर्तव्यों में लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरूद्ध सेवा शर्तो के आलोक में अनुशासनात्मक कारवाई की जा सकती है।
- शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रति उतरदायी होंगे।
- शिक्षक टयूशन या कोचिंग नहीं कर सकेंगे।
- चुनाव,जनगणना, या आपदा स्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थितियों में शिक्षकों का गैरशैक्षणिक कार्य हेतु प्रतियोजन नहीं होगा।

प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना एवं स्वीकृति

क) अधिनियम लागू होने के उपरांत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं होगा।

ख) अधिनियम लागू होने के पूर्व स्थापित विद्यालय को तीन वर्ष के भीतर मान्यता हेतु निर्धारित मानक एवं स्तर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

स्कूल की अवधि :-

- 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों के लिए, साल में 200 दिन एवं 800 घंटे की पढ़ाई निश्चित की गई है।
- 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों के लिए, साल में 220 दिन एवं 1000 घंटे की पढ़ाई निश्चित की गई है।
- शिक्षकों को पठन -पाठन के कार्यो में सप्ताह में कम से कम 45 घंटा संलग्न रहना चाहिए।

भवन की स्थिति :-

- प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष तथा प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक सह कार्यालय के लिए अलग कक्ष।
- स्वच्छता हेतु शौचालय की व्यवस्था (छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग) करना।
- सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल के चारों ओर चारदिवारी की व्यवस्था करना।
- सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना।
- विकलांग बच्चों के स्कूल पहुँचने के लिए उचित व्यवस्था करना।
- माध्याह्न भोजन पकाने के लिए साफ रसोईघर की व्यवस्था करना।
- मानसिक विकास के लिए अलग- अलग विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था करना।
- शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदान की व्यवस्था करना।

विद्यालय मान्यता की शर्तें : शिक्षकों की स्थिति

	मानक एवं स्तर	
	बच्चों की संख्या	**शिक्षकों की संख्या**
वर्ग 1 से 5 तक	60 तक	02
	61 से 90	03
	91 से 120	04
	121 से 200	05
	200 से अधिक	40:1
	150 से अधिक	1 प्रधान

	विषय	शिक्षकों की संख्या	अन्य
वर्ग 6 से 8 तक	प्रत्येक वर्ग के लिए न्युनतम	1	विज्ञान, समाज अध्ययन एवं भाषा के लिए 1-1 शिक्षक
		1:35के अनुपात में अतिरिक्त 1शिक्षक	-
	छात्रों की संख्या यदि 100 से अधिक हो तो	1) एक पूर्णकालिक शिक्षक	-
		2)अंशकालिक अनुदेशक	ललितकला, शारीरिक शिक्षा एवां कार्य शिक्षा।

मुख्य चुनौतियाँ

- अभिभावकों के द्वारा अधिनियम की अपर्याप्त जानकारी।
- अभिभावकों की उदासीनता।
- भाषा एवं ज्ञान का क्षेत्रिय अनुरूप न होने के कारण बच्चों द्वारा शिक्षा की रूचि में कमी।
- दुर्गम स्थानों तक पहुँच की कमी।
- शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यो का बोझ।
- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी।
- अलग -अलग कार्यो के लिए कर्मचारियों का न होना।
- पुस्तकों का समय पर न मिलना।
- शिक्षकों द्वारा अनियमितता।

समाधान

- अभिभावकों को प्रेरित करना जिससे कि बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि दिखे।
- पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाया जाए (जैसे व्यवसायिक शिक्षा, बच्चों की रूचि के अनुसार पढ़ाई की व्यवस्था)।
- दुर्गम स्थानों तक पहुँच के लिए, स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर दायित्व सौंपना।
- शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यो के बोझ (चुनाव, आपदा, जनगणना आदि) से मुक्त रखना।
- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- अलग -अलग कार्यो के लिए कर्मचारियों का चयन करना जिससे कि काम का बोझ किसी एक पर न पड़े ।

- पुस्तकों का प्रकाशन समय पर करके स्कूल तक पहुँचाना।
- शिक्षकों के अनियमितता पर लगाम लगाना।
- विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देना तथा उनके लिए पर्याप्त सुविधाएँ मुहैया कराना।
- समय-समय पर नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करना।

स्रोत

1) झारखंड सरकार की मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना
2) सिटी फांउडेशन एवं मेलजोल के पोस्टर
3) यूनिसेफ की गाइडलाइन
4) केन्द्र सरकार (संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना)
5) www.education .nic.in
6) Primer for development worker.

I NTRODUCTION OF SPAR

BACKGROUND

SPAR was established in the year 1991, Since its inception, SPAR has been working with poor and marginalized people through participatory approach and engaged in capacity building of the rural poor through formation and strengthening of People's Organisation. Besides this, the organisation is involved in capacity building of development professionals, NGOs and network working in India, Nepal and Bangladesh. SPAR is associated with more than 300 development organisations through training, consultancy, promotional support and publications.

SPAR organises the rural poor at the grass-roots level and facilitates the process of planning, implementation and monitoring of their development activities, through direct intervention in Jharkhand, Orissa, West Bengal and Bihar and networking with other organisations.

Financial support has been extended to 22 small and grass-roots organisation in the reference states. The network activites of SPAR is expected to create greater empowering impacts among the people in larger aresa of Jharkhand, Bihar, West Benagal and Bihar.

SPAR publishes issues based publications on contemporary critical issues, planning manuals, training manuals and research outcomes on periodical basis. The organisation also conducts policy relevant socio-economic research.

SPARHAS BEEN GIVING STRATEGIC THRUST ON THE FOLLOWING ISSUES

- Organising the unorganised people and strengthening existing people's Organisation (P.O) and Self Help Groups (SHGs)
- Improvement of Local Self Governance i.e. Tribal Self-Rule, Gram Sabha and panchayati Raj Institutions (PRI)
- Improving status of Food Security
- Child Health and Education
- Promotion of Societal Peace
- Women Empowerment
- Promotion of Services like value based education, health and hygiene, safe drinking water etc.
- Promotion of Grass-roots Organisation in Jharkhand, Orissa,West Bengal and Bihar
- Capacitation of Development Actors of India, Nepal and Bangladesh
- Promotion of Issue-based alliance with other networks and Organisations

SPAR believes in collective actions and Working through it to ensure the rights of the people.

Society for Participatory Action and Reflection
Shree Maa Apartment, P. N. Bose Compound,
Purulia Road, Ranchi – 834001 (Jharkhand)
Contact No. : 0651-2532346, 2532064
E-mail : www.sparranchi2010@gmail.com
Visit : www.sparindia.org